

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2020/366

दिनांक:-29/7/2020

### संशोधित-आदेश

इस कार्यालय के पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 318 दिनांक 17.07.2020 द्वारा उप आवासन आयुक्त वृत्त-कोटा, कोटा के अधीन विभिन्न आवासीय योजना में उपलब्ध 38 स्वतंत्र आवासों का निस्तारण ई-सबमिशन (बिना छूट के) से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें "ई-सबमिशन (बिना छूट के) से किराया क्रय पद्धति के माध्यम से" के स्थान पर ई-सबमिशन (बिना छूट के) टंकित हो गया था।

अतः उक्त को "ई-सबमिशन (बिना छूट के) से किराया क्रय पद्धति के माध्यम से 156 मासिक किश्तों से निस्तारण पढा जाएं। साथ उक्त के संबंध में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 29 दिनांक 27.05.2020 में निर्धारित शर्तें लागू होगी।



(कश्मी कौर)  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

### प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता प्रथम/द्वितीय/मु0, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-कोटा, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



सम्पदा प्रबन्धक (मु.)